पत्र संख्या–9 / पें०(6)–01 / 2014 101/वि०प०

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

—::—

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी विभागध्यक्ष / उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 21/08/2017

विषयः— राज्य सरकार के सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों के लिए Online पेंशन आवेदन की सुविधा हेतु दिशा निर्देश के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 31.08.2017 एवं उसके उपरांत सेवानिवृत होने वाले कर्मियों हेतु Online पेंशन आवेदन की सुविधा संकल्प संख्या 2369 / वि० दिनांक 13.07.2017 द्वारा लागू किया गया है ।

Online पेंशन आवेदन का सूचारू रूप से संचालन हेतु निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :—

(i) पेंशन हेतु Online शिकायत करने की सुविधा एवं इसके निवारण हेतु शिकायत निवारण कोषांग का गठन करते हुए ADM / उप सचिव स्तर से अन्यून एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाय ।

(ii) पेंशन स्वीकृति के उपरान्त महालेखाकार कार्यालय को ऑनलाईन डाटा के साथ–साथ सेवापुस्त मूलरूप में तथा ऑनलाईन भरे हुए प्रपत्र को डाउनलोड कर उसकी मुद्रित एवं हस्ताक्षरित प्रति यथासंभव स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाय ।

(iii) संकल्प संख्या 2369 / वि० दिनांक 13.07.2017 की कंडिका 3(vii) के आलोक में सेवानिवृत सेवक की सेवानिवृति के 15 दिनों के अन्दर बेबाकी प्रमाण पत्र (NDC) निश्चित रूप से निर्गत कर Online अपलोड कर कोषागार, संबंधित सरकारी सेवक / पेंशनर एवं महालेखाकार कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय ।

(iv) अगामी छः माह में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों / पदाधिकारियों तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO's) को Online पेंशन के संबंध में D.I.O के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित किया जाय ।

अनुरोध है कि Online पेंशन के संबंध में विहित समय सीमा के अन्तर्गत उपर्युक्त निर्देशो के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)।